न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र ओझा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **322/12 (वाद)**

1. श्री नटवरलाल पिता नानुराम ऊर्फ नाना यादव निवासी जैवाणा हाल यादव मौहल्ला, कुंवारिया तह. राजसमन्द।
2. श्री नाहरसिंह पिता नानुराम ऊर्फ नाना यादव निवासी जैवाणा हाल यादव मौहल्ला, कुंवारिया तह. राजसमन्द।

2/1 श्रीमती टिना पुत्री नाहरसिंह पत्नी कैलाश यादव निवासी फतहनगर तह. मावली।

2/2 श्री तिलकेश पिता नाहरसिंह ना.बा.ब.वि.बहिन टिना पुत्री नाहरसिंह पत्नी कैलाश यादव निवासी फतहनगर तह. मावली।

2/3 श्री भुपेन्द्र पिता नाहरसिंह ना.बा.ब.वि.बहिन टिना पुत्री नाहरसिंह पत्नी कैलाश यादव निवासी फतहनगर तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री भगवतीलाल पिता नवला यादव निवासी हनुमानपुरा जेवाणा तह. मावली।
2. श्री खुमाणलाल पिता नवला यादव निवासी हनुमानपुरा जेवाणा तह. मावली।
3. श्री नाथुलाल पिता नवला यादव निवासी हनुमानपुरा जेवाणा तह. मावली।
4. श्री राजमल पिता नवला यादव निवासी हनुमानपुरा जेवाणा तह. मावली।
5. श्री चतरभुज पिता नवला यादव निवासी हनुमानपुरा जेवाणा तह. मावली।
6. श्री पिन्टु पिता कैलाशचन्द्र यादव नाबालिग बविलायत माता तारादेवी पत्नी कैलाशचन्द्र यादव निवासी हनुमानपुरा जेवाणा तह. मावली।
7. सुश्री चान्दनी पुत्री कैलाशचन्द्र यादव नाबालिग बविलायत माता तारादेवी पत्नी कैलाशचन्द्र यादव निवासी हनुमानपुरा जेवाणा तह. मावली।
8. तारादेवी पत्नी कैलाशचन्द्र यादव निवासी हनुमानपुरा जेवाणा तह. मावली।
9. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय सनवाड तह. मावली।
10. पटवारी, पटवार हल्का जेवाणा तह. मावली।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता वादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 31.10.2017

1. वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार प्रस्तुत हैं कि मौजा जेवाणा, पटवार क्षैत्र जेवाणा तहसील मावली में निम्न आराजीयात स्थित हैं। आराजी नम्बर 3508, 3509, 3510, 3512, 3511, 3515 कुल किता 6 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी सं. 1 से 8 के नाम पर संयुक्त रूप से अंकित हैं। नकल जमाबन्दी साथ संवत् 2064 से 2067 तक वाद पत्र के साथ संलग्न हैं।

2. हम वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 से 8 का सजरा खानदान निम्न हैं –

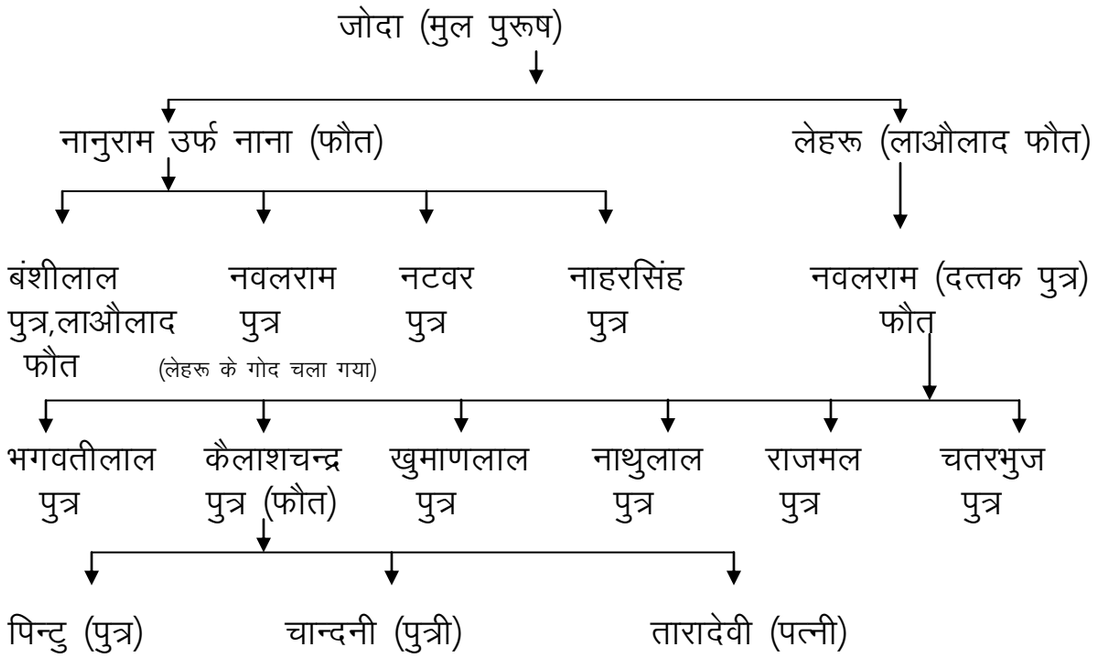

उक्त सजरे अनुसार हमारे मुल पुरूष जोदा जी थे जिनके दो पुत्र नानुराम उर्फ नाना एवं लेहरू हुवें। नानुराम उर्फ नाना जी का स्वर्गवास को हो चुका हैं। नानुराम उर्फ नाना जी के चार पुत्र बंशीराम, नवलराम, नटवरलाल, नाहरसिंह हूवें। बंशीराम लाऔलाद फौत हो चुका हैं। लेहरू जी का स्वर्गवास भी हो चुका हैं, लेहरू जी के कोई संतान नहीं होने से उन्होनें नानुराम उर्फ नाना जी के पुत्र नवलराम को गोद लिया था जो लेहरू जी का विधिक वारिस हैं। नवलराम का भी स्वर्गवास हो चुका हैं जिनके वारिस प्रतिवादी सं. 1 से 8 हैं।

3. हम वादीगण के पिता के भाई श्री लेहरू के कोई संतान नही होने से उन्होनें श्री नानुराम उर्फ नाना जी के पुत्र नवलराम को हिन्दू रितिरिवाजानुसार व सामाजिक परम्परा के अनुसार अपने गोद लिया था और हम वादीगण के पिता ने नवलराम को श्री लेहरू जी के गोद रखा था और गोद देने–लेने के समय से ही प्रतिवादी सं. 1 नवलराम अपने प्राकृतिक पिता नानुराम उर्फ नाना जी को छोडकर अपने दत्तक पिता लेहरू जी के पास निवास कर रहता आ रहा था और उनकी समस्त चल अचल सम्पति पर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहता आ रहा था और लेहरू जी के मरने के पश्चात् भी लेहरूजी का समस्त क्रियाकर्म भी प्रतिवादी सं. 1 से 8 के पिता /दादा/ससुर नवलराम ने ही किया था। लेहरू जी के स्वर्गवास के पश्चात् उनकी समस्त चल अचल सम्पति भी प्रतिवादी सं. 1 से 8 के पिता/दादा/ससुर नवलराम के नाम पर दत्तक पुत्र होने से राजस्व रेकर्ड में अंकित हुई हैं और प्रतिवादी सं. 1 से 8 के पिता/दादा/ससुर

नवलराम को निधन हो जाने के बाद प्रतिवादी सं. 1 से 8 के नाम पर अंकित हुई हैं।

4. प्रतिवादी सं. 1 से 8 के पिता/दाद/ससुर नवलराम के श्री लेहरू जी के यहां गोद जाने के बाद से उसके प्राकृतिक पिता श्री नानुराम उर्फ नाना जी की चल अचल सम्पति पर उसका कोई हक अधिकार कब्जा नहीं रहा हैं। नानुराम उर्फ नाना जी समस्त चल अचल सम्पति पर हम वादीगण ही काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं और हम वादीगण ही स्व. नानुराम उर्फ नाना जी के एकमात्र विधिक वारिस होकर उत्तराधिकारी हैं। लेकिन प्रतिवादी सं. 1 से 8 के पिता/दादा/ससुर नवलराम ने हम वादीगण को हमारी सम्पति से वंचित करने एवं नाजायज लाभ प्राप्त करने की नियत से हम वादीगण के पिता नानुराम उर्फ नाना जी के निधनोपरान्त राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर वाद पत्र की कलम सं. 1 में अंकित कृषि भूमि को नानुराम उर्फ नाना जी का एक मात्र पुत्र होना बताकर अपने नाम पर अंकित करा दी और नवलराम के स्वर्गवास के पश्चात् प्रतिवादी सं. 1 से 8 ने विरासत से उक्त कृषि भूमि को अपने नाम पर राजस्व रेकर्ड में अंकन करा दी हैं जबकि प्रतिवादी सं. 1 से 8 या इनके पिता/दादा/ससुर नवलराम, लेहरू जी के गोद गया हैं और गोद जाने के बाद कानूनन उसका प्राकृतिक पिता की चल अचल सम्पति में कोई हक अधिकार नहीं रहता हैं और वह गोद जाने के बाद से अपने दत्तक पिता की सम्पति का उपयोग उपभोग करता रहा था। इसलिये वाद पत्र की कलम सं. एक में अंकित कृषि भूमि जो वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 से 8 के नाम पर दर्ज हैं, उसे हम वादीगण के नाम पर खातेदारी हक की घोषित करा हिस्सेनुसार राजस्व रेकर्ड में अंकित कराने के अधिकारी हैं जिसके लिये उक्त वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हैं।

5. हम वादीगण का प्राइमाफैसी केस है क्योंकि नानुराम उर्फ नाना जी के हम विधिक वारिसान होकर एकमात्र उत्तराधिकारी हैं और उनकी चल अचल सम्पति पर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे हैं और वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि पर हम वादीगण ही काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे हैं। प्रतिवादी सं. 1 से 8 के पिता/दादा/ससुर नवलराम के श्री लेहरू जी के यहां गोद जाने के बाद से स्व. नानुराम उर्फ नाना जी की चल अचल सम्पति पर कोई कब्जा हक अधिकार नहीं रहा हैं क्योंकि गोद जाने के पश्चात् से प्रतिवादी सं. 1 से 8 के पिता/दादा/ससुर नवलराम उसके दत्तक पिता लेहरू जी की

सम्पतियों पर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहा था एवं लेहरू जी के निधन के बाद विरासत से नामान्तरकरण भी प्रतिवादी सं. 1 से 8 के पिता/दादा/ससुर नवलराम के नाम दत्तक पुत्र की हैसियत से खुला हैं। लेकिन प्रतिवादी सं. 1 से 8 के पिता/दादा/ससुर नवलराम के मन में लोभ लालच की भावना पैदा हो जाने से उसने अपने आपको हम वादीगण के पिता नानुराम उर्फ नाना जी का एकमात्र पुत्र होना बताकर राजस्व अधिकारियों से मिलिभगत कर नानुराम उर्फ नानाजी के नाम दर्ज सम्पूर्ण भूमि को विरासत से अपने नाम पर अंकित करा दी तथा नवलराम की मृत्यु के बाद प्रतिवादी सं. 1 से 8 ने अपने नाम पर विरासत से दर्ज करा दी हैं। प्रतिवादी सं. 1 से 8 इस गलत अंकन का फायदा उठा कर उक्त कृषि भूमि को अन्य लोगों को बेचने की व जबरन हमारा कब्जा हटाने की धमकियां दे रहें हैं। जबकि प्रतिवादी सं. 1 से 8 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं हैं। इसलिये हम वादीगण प्रतिवादी सं. 1 से 8 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी हैं कि प्रतिवादी सं. 1 से 8 वाद पत्र की कलम सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि को अन्य किसी व्यक्ति को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करें, हम वादीगण को हमारे हिस्से कब्जे भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें, बेदखल नहीं करें, प्रवेश नहीं करें, उक्त कार्य न स्वंय करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं हैं, बल्कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से हम वादीगण को भारी क्षति होगी और उसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दु भी वादीगण के पक्ष में हैं।

6. वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद कारण दिनांक 24.09.2012 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण सं. 1 से 8 ने भूमि उनके नाम पर अंकन होना बताकर हम वादीगण को हमारे कब्जे काश्त की भूमि से जबरन बेदखल करने की धमकी दी तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।
7. अतः प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री जारी फरमाई जावें कि वाद पत्र की कलम सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि जो प्रतिवादी सं. 1 से 8 के नाम दर्ज हैं उस सम्पूर्ण कृषि भूमि का हम वादीगण को हिस्सानुसार भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर इसी अनुसार हम वादीगण का नाम खातेदार काश्तकार की हैसियत से राजस्व रेकर्ड

खेवट खतौनी जमाबन्दी में अंकन कराये जाने की डिक्री जारी फरमाई जावें। वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि प्रतिवादी सं. 1 से 8 वादपत्र की कलम सं. 1 में वर्णित आराजीयात को अन्य किसी व्यक्ति को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करें, वादीगण को अपने हिस्से कब्जे की भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करें, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करें, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावें, राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें। प्रतिवादी सं. 1 से 8 उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत करे तो ताफैसला वाद प्रतिवादी सं. 9 पंजीयन नहीं करें, प्रतिवादी सं. 10, 11 ताफैसला वाद राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें।

8. वादी द्वारा वाद पत्र के साथ दस्तावेजात नकल जमाबन्दी प्रदर्श 1, नकल नामान्तरकरण सं. 431 प्रदर्श 2, नकल नामान्तरकरण प्रदर्श 3, जमाबन्दी मौजा कुवारिया प्रदर्श 4, नकल जमाबन्दी मौज जेवाणा प्रदर्श 5, मौजा कुंवारिया नामान्तरकरण प्रदर्श 6, नकल विक्रय पत्र प्रदर्श 7, नकल जामबन्दी कुवारिया खाता सं. 305 प्रदर्श 8, नकल जमाबन्दी खाता सं. 189 कुंवारिया प्रदर्श 9, नकल ना.स. 463 मौजा कुवारिया प्रदर्श 10, मौजा कुवारिया खाता सं. 140 प्रदर्श 11, मौजा कुवारिया खाता सं. 659 प्रदर्श 12 नकल जमाबन्दी कुवारिया संवत 2042–45 प्रदर्श 13, नकल जामबन्दी कुवारिया संवत 2021–24 प्रदर्श 14 पेश की गई है।

9. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 1 से 8 नियत पेशी दिनांक को न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हुऐ है जिसके कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये है । प्रतिवादी सं. 9 से 11 औपचारिक पक्षकार होने से जवाब नहीं देना चाहा। प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ करवाई गई।

10. साक्ष्य वादी पी.डब्ल्यू–1 श्री नटवरलाल, पीडब्ल्यू 2 श्री किशनलाल का शपथ पत्र पेश किया गया।

11. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को सूना गया। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

12. हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी की बहस पर बगौर मनन किया । पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। वाद वर्णित भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति होना जाहिर आया है जो वादीगण के पिता नानुराम उर्फ नाना के नाम दर्ज थी। नानुराम जी के 4 पुत्र बंशीलाल , नवराम, नटवर लाल एवं नाहरसिंह होना बताया है। जिसमें बंशालाल का ला औलाद फौत होना बताया एवं नवलराम का नानुराम के भाई लेहरू के ला औलाद होने से लेहरू के गौद जाना बताया है। प्रतिवादी सं. 1 से 8 नवलराम के वारिसान है। भूमि अकेले नवलराम के नाम नामान्तरकरण सं. 431 व 432 प्रदर्श 2, 3 से विरासत से दर्ज हो गई है। जबकि नानुराम के नटवरलाल एवं नाहरसिंह दो पुत्र और थे जिनके नाम पर भूमि दर्ज नहीं हुई है। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 से 8 के नाम दर्ज है। वादीगण द्वारा अपनी एक अन्य भूमि मौजा कुंवारिया में भी होना बताय जिसमें नामान्तरण सही खुला होना बताया जिसका नामान्तरकरण सं. 858 प्रदर्श 6 पेश किया है। उपरोक्त दस्तावेज के आधार पर वादीगण नानुराम के वारिसान है। एवं वादी द्वारा नानुराम के विरासत के भूमि नवलराम के दर्ज होना बताया जो सही है लेकिन वादी द्वारा अपने वाद पत्र में लेहरू जी के ला औलाद फौत होने से नवलराम के लेहरू जी के गौद जाने का कथन किया है एवं सम्पर्ण भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 8 के बजाय वादी सं. 1 व 2 के वारिसान के नाम भूमि दर्ज करने की प्रार्थना की गई है जबकि वादी द्वारा नवलराम के गौद जाने बाबत् गोदनामा आदि कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे लेहरूजी के गोद जाने के तथ्य को स्वीकार किया जा सके। अतः उपरौक्त तथ्यों के आधार पर वादी सं. 1 व 2 नानुराम के वारिस होने से नानुराम की भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 8 के साथ– साथ अपने हिस्सेनुसार भूमि अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है। वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा जेवाणा पटवार हल्का जेवाणा की आराजी नम्बर 3508, 3509, 3510, 3512, 3511, 3515 किता 6 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 8 के बजाय वादी सं. 1 को 1/3, वादी सं. 2/1 से 2/3 को 1/3 एवं प्रतिवादी सं. 1 से 8 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादी

सं 1 से 8 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के हिस्से कब्जे की भूमि में दखलन्दाजी नहीं करे, वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने देवें इसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द रहे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2017 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(जितेन्द्र ओझा)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास जितेन्द्र ओझा, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री नटवरलाल पिता नानुराम ऊर्फ नाना यादव निवासी जैवाणा हाल यादव मौहल्ला, कुंवारिया तह. राजसमन्द।
2. श्री नाहरसिंह पिता नानुराम ऊर्फ नाना यादव निवासी जैवाणा हाल यादव मौहल्ला, कुंवारिया तह. राजसमन्द।

2/1 श्रीमती टिना पुत्री नाहरसिंह पत्नी कैलाश यादव निवासी फतहनगर तह. मावली।

2/2 श्री तिलकेश पिता नाहरसिंह ना.बा.ब.वि.बहिन टिना पुत्री नाहरसिंह पत्नी कैलाश यादव निवासी फतहनगर तह. मावली।

2/3 श्री भुपेन्द्र पिता नाहरसिंह ना.बा.ब.वि.बहिन टिना पुत्री नाहरसिंह पत्नी कैलाश यादव निवासी फतहनगर तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री भगवतीलाल पिता नवला यादव निवासी हनुमानपुरा जेवाणा तह. मावली।
2. श्री खुमाणलाल पिता नवला यादव निवासी हनुमानपुरा जेवाणा तह. मावली।
3. श्री नाथुलाल पिता नवला यादव निवासी हनुमानपुरा जेवाणा तह. मावली।
4. श्री राजमल पिता नवला यादव निवासी हनुमानपुरा जेवाणा तह. मावली।
5. श्री चतरभुज पिता नवला यादव निवासी हनुमानपुरा जेवाणा तह. मावली।
6. श्री पिन्टु पिता कैलाशचन्द्र यादव नाबालिग बविलायत माता तारादेवी पत्नी कैलाशचन्द्र यादव निवासी हनुमानपुरा जेवाणा तह. मावली।
7. सुश्री चान्दनी पुत्री कैलाशचन्द्र यादव नाबालिग बविलायत माता तारादेवी पत्नी कैलाशचन्द्र यादव निवासी हनुमानपुरा जेवाणा तह. मावली।
8. तारादेवी पत्नी कैलाशचन्द्र यादव निवासी हनुमानपुरा जेवाणा तह. मावली।
9. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय सनवाड तह. मावली।
10. पटवारी, पटवार हल्का जेवाणा तह. मावली।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 322/12 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु जितेन्द्र ओझा R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है किः–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा जेवाणा पटवार

हल्का जेवाणा की आराजी नम्बर 3508, 3509, 3510, 3512, 3511, 3515 किता 6 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 8 के बजाय वादी सं. 1 को 1/3, वादी सं. 2/1 से 2/3 को 1/3 एवं प्रतिवादी सं. 1 से 8 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादी सं 1 से 8 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के हिस्से कब्जे की भूमि में दखलन्दाजी नहीं करे, वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने देवें इसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द रहे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 31.10.2017 को जारी की गई।

(जितेन्द्र ओझा)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली